पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 217/2024

1. सुनीता पुत्री देशराज उर्फ जैसराम पत्नी झमनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जाटान हाल निवासी वार्ड संख्या 21 भादरा।
2. सरला पुत्री देशराज उर्फ जैसराम पत्नी अरविन्द जाति ब्राहम्ण निवासी जाटान हाल निवासी वार्ड संख्या 21 भादरा। :– वादी

बनाम

1. राजकुमार पुत्र देशराज उर्फ जैसराम जाति ब्राहम्ण निवासी जाटान हाल निवासी संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. भागवन्ती पत्नी देशराज उर्फ जैसराम जाति ब्राहम्ण निवासी जाटान हाल निवासी संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. सुमनलता पुत्री देशराज उर्फ जैसराम पत्नी दिनेश जाति ब्राहम्ण निवासी जाटान हाल निवासी कुलारन जिला फाजिल्का पंजाब।
4. सरोज पुत्री देशराज उर्फ जैसराम पत्नी सुभाष जाति ब्राहम्ण निवासी जाटान हाल निवासी सिद्वमुख जिला चुरू।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा। :– प्रतिवादी

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विरेन्द्र जाखड़ व प्रतिवादीगण वकील श्री तरूण मिश्रा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा जाटान के खाता सं0 187/208 के खसरा संख्या 184 की 12.0650 है0 बारानी खातेदारी जैसराम के नाम से 340/2413 हिस्सा तथा खाता संख्या 188/207 के खसरा संख्या 332 की 1.0500 है0, खसरा संख्या 340 की 2.125 है0 बारानी, खसरा संख्या 362 की 1.555 है0 बारानी कुल खसरे 3 की 4.7300 है0 बारानी खातेदारी में वादीयान तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता जैसराम का 3/10 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण वादभूमि में वादीयान व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता का नाम जैसराम उर्फ देशराज दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। तथा उक्त वादभूमि में जैसराम उर्फ देशराज का नाम कलमजन किया जाकर वादीया संख्या 1 सुनिता, वादीया संख्या 2 सरला देवी, एवं प्रतिवादी संख्या 1 राजकुमार व प्रतिवादी संख्या 2 भागवन्ती, प्रतिवादी संख्या 3 सुमनलता, प्रतिवादी संख्या 4 सरोज को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच जैसराम पुत्र पूराराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में जैसराम पुत्र पूराराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए जैसराम पुत्र पुराराम नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादीयान स्वयं जिम्मेदार होगी। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.26 16:46:06 IST
Reason: SelfAttested

(निधि उड़सरिया) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उदसरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 217/2024

1. सुनीता पुत्री देशराज उर्फ जैसराम पत्नी झमनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जाटान हाल निवासी वार्ड संख्या 21 भादरा।
2. सरला देवी पुत्री देशराज उर्फ जैसराम पत्नी अरविन्द जाति ब्राहम्ण निवासी जाटान हाल निवासी वार्ड संख्या 21 भादरा। :– वादी

बनाम

1. राजकुमार पुत्र देशराज उर्फ जैसराम जाति ब्राहम्ण निवासी जाटान हाल निवासी संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. भागवन्ती पत्नी देशराज उर्फ जैसराम जाति ब्राहम्ण निवासी जाटान हाल निवासी संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. सुमनलता पुत्री देशराज उर्फ जैसराम पत्नी दिनेश जाति ब्राहम्ण निवासी जाटान हाल निवासी कुलारन जिला फाजिल्का पंजाब।
4. सरोज पुत्री देशराज उर्फ जैसराम पत्नी सुभाष जाति ब्राहम्ण निवासी जाटान हाल निवासी सिद्दमुख जिला चुरू। :– प्रतिवादीगण
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री विरेन्द्र जाखड़**: वादी**

वकील श्री तरूण मिश्रा **: प्रतिवादी संख्या 1 ता 4**

निर्णय **दिनांक :** 16.12.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा जाटान के खाता सं0 187/208 के खसरा संख्या 184 की 12.0650 है0 बारानी खातेदारी में वादीयान के पिता जैसराम के नाम से 340/2413 हिस्सा तथा खाता संख्या 188/207 के खसरा संख्या 332 की 1.0500 है0, खसरा संख्या 340 की 2.125 है0 बारानी, खसरा संख्या 362 की 1.555 है0 बारानी कुल खसरे 3 की 4.7300 है0 बारानी खातेदारी में वादीयान के पिता जैसराम का 3/10 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो वादीयान के पिता का देहान्त हो गया है जबकि वादियान के पिता का सही नाम देशराज है। उपरोक्त दोनों खातों की वादभूमि में वादीयान के पिता का नाम गलत दर्ज हो गया है वादीयान के पिता के देहान्त होने पर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी देशराज के नाम से बना है।

उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर वादीयान के हितों पर विपरित असर पड़ता है। वादीयान एवं प्रतिवादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड मे जैसराम दर्ज होने के चलते उक्त वादभूमि वादियान एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम विरासतन दर्ज नही हो पा रही है। जिससे वादियान एवं प्रतिवादीगण उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे है। इसलिए वादीयान एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 उपरोक्त वर्णित वादभूमि के राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अपने अधिकारो की घोषणा करवा पाने के कानूनी अधिकारी है। वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीयान एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने ... प्रतिवादी सं0 5 द्वारा ... किये जाने पर तनकी की जबावदावा पेश किया गया। वादीयान एवं प्रतिवादीगण द्वा... व प्रतिवादी संख्या 1 ता कोई आवश्यकता नही है। अतः ... 4 के पिता के नाम के संबंध में तहसीलदार ...

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.26 16:46:06 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में सुनिता पुत्री देशराज उर्फ ... झमनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जाटान के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम जाटान के खाता संख्या 188/207 सम्वत 2073–76 प्रदर्श 1, जमाबंदी ग्राम जाटान के खाता संख्या 187/208 सम्वत 2073–2076 प्रदर्श 2, मृत्यु प्रमाण पत्र देशराज प्रदर्श 3, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत जाटान प्रदर्श 4, प्रमाण पत्र नगरपालिका संगरिया बाबत वारिस देशराज प्रदर्श 5, शपथ पत्र सुनिता प्रदर्श 6, चित्रप्रति आधार कार्ड सुनिता प्रदर्श 7 ए प्रदर्शित करवाये गये।

Nidhi
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि में वादीयान एवं प्रतिवादीगण के पिता का नाम जैसराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के चलते उक्त वादभूमि वादियान एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के विरासतन दर्ज नही हो पा रहा है। जिससे वादियान एवं प्रतिवादीगण उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे है। उक्त वाद भूमि वादीयान एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के पिता जैसारा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीयान एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व तहसीलदार राजस्व भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वाद वादीयान साबित होने पर वाद वादीयान डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीयान ने ग्राम जाटान के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीयान ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी प्रदर्श 1 से 7 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा जाटान के खाता सं0 187/208 के खसरा संख्या 184 की 12.0650 है0 बारानी खातेदारी में वादीयान व प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 के पिता जैसराम के नाम से 340/2413 हिस्सा तथा खाता संख्या 188/207 के खसरा संख्या 332 की 1.0500 है0, खसरा संख्या 340 की 2.125 है0 बारानी, खसरा संख्या 362 की 1.555 है0 बारानी कुल खसरे 3 की 4.7300 है0 बारानी खातेदारी में वादीयान व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता जैसराम का 3/10 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उक्त वादभूमि में वादीयान तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता जैसराम उर्फ देशराज का नाम कमलजन किया जाकर वादीयान एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जावे। इस प्रकार वाद वादीयान मुताबिक राजीनामा व मुताबिक तहसीलदार राजस्व भादरा की रिपोर्ट के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीयान साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा व मुताबिक तहसीलदार राजस्व भादरा की रिपोर्ट के मुताबिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जाटान के खाता सं0 187/208 के खसरा संख्या 184 की 12.0650 है0 बारानी खातेदारी जैसराम के नाम से 340/2413 हिस्सा तथा खाता संख्या 188/207 के खसरा संख्या 332 की 1.0500 है0, खसरा संख्या 340 की 2.125 है0 बारानी, खसरा संख्या 362 की 1.555 है0 बारानी कुल खसरे 3 की 4.7300 है0 बारानी खातेदारी में वादीयान तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता जैसराम का 3/10 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण वादभूमि में वादीयान व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता का नाम जैसराम उर्फ देशराज दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। तथा उक्त वादभूमि में जैसराम उर्फ देशराज का नाम कलमजन किया जाकर वादीया संख्या 1 सुनिता, वादीया संख्या 2 सरला देवी, एवं प्रतिवादी संख्या 1 राजकुमार व प्रतिवादी संख्या 2 भागवन्ती, प्रतिवादी संख्या 3 सुमनलता, प्रतिवादी संख्या 4 सरोज को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच जैसराम पुत्र पूराराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में जैसराम पुत्र पूराराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए जैसराम पुत्र पुराराम नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादीयान स्वयं जिम्मेदार होगी। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.26 16:46:06 IST
Reason: SelfAttested

(निधि उड़सरिया) R.A.S.
फास्ट-ट्रैक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner